न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 11 सन 2019
अनवान :–

1. अमीलाल पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।
2. हरिसिह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।

सायलान

बनाम

1. भरपाई पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।
2. राजपाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।
3. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरू।
4. सन्तोष पुत्री हनुमान पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी भुडनपुरा तहसील सुरजगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता सायलान
श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता 1 ता 4 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 13/07/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान के पिता बालुराम गैरसायलान के ससुर व दादा गोरधन की खातेदारी भूमि ग्राम बेरासर तहसील राजगढ तथा सायलान के पिता बालुराम एकेले की पैदा करदा भूमि रोही मौजा चेनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक थी।

गैरसायल न0 1 के पति व गैरसायलान न0 2 ता 4 के पिता स्व हनुमान जो अपने व सायलान के पिता स्व बालुराम के जीवनकाल में ही दिनांक 16.04.1970 को अपने ताउ गोरधन के खोला चला गया था तथा उसके साथ ही निवास करता था।

रोही मौजा बेरासर की भूमि गोरधन की मृत्यू के बाद खोलानामा के आधार पर गोरधन की भूमि का नामान्तकरण हनुमान के पक्ष में तस्दीक करवा लिया था और बालुराम की मृत्यू के बाद रोही मौजा बेरासर की भूमि का नामान्तकरण सायलान के पक्ष में तस्दीक हो गया।

रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 336/1 की 7.2960हैक भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु सायलान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.7.1984 को तहसीलदार के समक्ष पेश किया था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को नजरअन्दाज करते हुए दिनांक 13.02.1985 को सायलान के साथ मृतक हनुमान का नाम दर्ज दिया जबकि हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र था बिना किसी आधार के रोही मौजा चैनपुरा की भूमि में हनुमान का नाम दर्ज किया गया है सायलान न्यायालय से घोषणा करवाने के अधिकारी है कि बालुराम के जायज वारिसान सायलान ही है हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र है।

सायलान की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग सायलान के पक्ष में किया गया था जिसका नामान्तकरण दर्ज करने हेतु भी निवेदन किया गया था किन्तु साजबाज करके हनुमान को बालुराम का वारिस मानते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है।

रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक भूमि बालुराम की मृत्यू के बाद लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में हनुमान का नाम दर्ज होने के कारण उसके वारिसान कब्जा करने की फिराक मे है एव अन्य किसी को रहन बेय करने पर उतारू है गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक भूमि में गैरसायलान व आदमियों द्वारा मदाख्लत बेजा ना करे एवं रहन बेय ना करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान के जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

डुगरराम का फौत होना स्वीकार है एवं बालूराम के तीन वारिसान अमीलाल , हरिसिह , हनुमान होना स्वीकार है साायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में बेरासर तहसील राजगढ की भूमि का अंकन किया है जो तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार की नही होने के कारण जबाब आवश्यक नही है रोही मौजा चैनपुरा की भूमि सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वजो की निकाली हुई भूमि है तथा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 336/1 की 7.2960हैक भूमि का नामान्तकरण मृतक हनुमान के पक्ष में सही तोर से दर्ज किया गया है दत्तक सम्बधी विवाद का निपटारा करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है बालूराम के उतराधिकार के सम्बध में किसी न्यायालय से घोषणा प्राप्त नही हुई है इसलिये हनुमान का नाम कलमजन करवाने का अधिकार नही है तथा सायलान की बहनो के द्वारा हकत्याग नही किया गया है बेवजह प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया है हनुमान रिकाडर्ड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व बिना किसी आधार के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

वादभूमि हनुमान के देहान्त होने के बाद से हनुमान के वारिसान गैरसायल न0 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है विवादग्रस्त भूमि के सम्बध में सायलान को प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है सायलान का वादभूमि में कभी भी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है ना ही कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है वादभूमि पूर्व में गैरसायल के पिता एवं बाद मृत्यू गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है यदि सायलान को नामान्तकरण के सम्बध में ऐतराज है तो सम्बधीत नामान्तकरण की अपील की जा सकती थी जो नही की गई तथा नामान्तकरण दिनांक 13.02.1985 की अपील नही करने के कारण सम्बधित नामान्तकरण से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए इन्द्राज को चुनोती देने की समयअवधि गुजर चुकी है अब उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए अंकन को चुनोती नही दी जा सकती है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे। गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान के पिता बालुराम गैरसायलान के ससुर व दादा गोरधन की खातेदारी भूमि ग्राम बेरासर तहसील राजगढ तथा सायलान के पिता बालुराम एकेले की पैदा करदा भूमि रोही मौजा चेनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक थी।

गैरसायल न0 1 के पति व गैरसायलान न0 2 ता 4 के पिता स्व हनुमान जो अपने व सायलान के पिता स्व बालुराम के जीवनकाल में ही दिनांक 16.04.1970 को अपने ताउ गोरधन के खोला चला गया था तथा उसके साथ ही निवास करता था।

रोही मौजा बेरासर की भूमि गोरधन की मृत्यू के बाद खोलानामा के आधार पर गोरधन की भूमि का नामान्तकरण हनुमान के पक्ष में तस्दीक करवा लिया था और बालुराम की मृत्यू के बाद रोही मौजा बेरासर की भूमि का नामान्तकरण सायलान के पक्ष में तस्दीक हो गया।

रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 336/1 की 7.2960हैक भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु सायलान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.7.1984 को तहसीलदार के समक्ष पेश किया था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को नजरअन्दाज करते हुए दिनांक 13.02.1985 को सायलान के साथ मृतक हनुमान का नाम दर्ज दिया जबकि हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र था बिना किसी आधार के रोही मौजा चैनपुरा की भूमि में हनुमान का नाम दर्ज किया गया है सायलान न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है कि बालुराम के जायज वारिसान सायलान ही है हनुमान गोरधन का दत्तक पुत्र है।

सायलान की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग सायलान के पक्ष में किया गया था जिसका नामान्तकरण दर्ज करने हेतु भी निवेदन किया गया था किन्तु साजबाज करके हनुमान को बालुराम का वारिस मानते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है।

रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 366/1 की 7.2960हैक भूमि बालुराम की मृत्यू के बाद लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में हनुमान का नाम दर्ज होने के कारण उसके वारिसान कब्जा करने की फिराक मे है एव अन्य किसी को रहन बेय करने पर उतारू है गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

गैरसायलान न0 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की डुगरराम का फौत होना स्वीकार है एवं बालूराम के तीन वारिसान अमीलाल , हरिसिह , हनुमान होना स्वीकार है साायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में बेरासर तहसील राजगढ की भूमि का अंकन किया है जो तहसील नोहर के क्षेत्राधिकार की नही होने के कारण जबाब आवश्यक नही है रोही मोजा चैनपुरा की भूमि सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वजो की निकाली हुई भूमि है तथा रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 336/1 की 7.2960हैक भूमि का नामान्तकरण मृतक हनुमान के पक्ष में सही तोर से दर्ज किया गया है दत्तक सम्बधी विवाद का निपटारा करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है बालूराम के उतराधिकार के सम्बध में किसी न्यायालय से घोषणा प्राप्त नही हुई है इसलिये हनुमान का नाम कलमजन करवाने का अधिकार नही है तथा सायलान की बहनो के द्वारा हकत्याग नही किया गया है बेवजह प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया है हनुमान रिकाडर्ड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व बिना किसी आधार के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

वादभूमि हनुमान के देहान्त होने के बाद से हनुमान के वारिसान गैरसायल न0 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है विवादग्रस्त भूमि के सम्बध में सायलान को प्रार्थना पत्र लाने का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अधिकार नही है सायलान का वादभूमि में कभी भी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है ना ही कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है वादभूमि पूर्व में गैरसायल के पिता एवं बाद मृत्यू गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है यदि सायलान को नामान्तकरण के सम्बध में ऐतराज है तो सम्बधीत नामान्तकरण की अपील की जा सकती थी जो नही की गई तथा नामान्तकरण दिनांक 13.02.1985 की अपील नही करने के कारण सम्बधित नामान्तकरण से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए इन्द्राज को चुनोती देने की समयअवधि गुजर चुकी है अब उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए अंकन को चुनोती नही दी जा सकती है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे। गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरआरजे वर्ष – 2018 पेज 499 , आरबीजे वर्ष 2018 पेज 504 प्रस्तुत की गई।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान वाद भूमि में कितने हिस्सा पाने के अधिकारी है तथा गैरसायलान जो मृतक हनुमान के वारिसान है वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा चैनपुरा के खसरा न0 336/1 की 7.2960हैक भूमि सायलान एवं गैरसायलान के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है वादभूमि उभयपक्षों के नाम दर्ज होने के कारण सूविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

सायलान का कथन है कि बालुराम का पुत्र हनुमान अपने ताउ गोरधन के बचपन में ही खोले चला गया था इसलिये वह बालुराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही था किन्तु बालुराम की भूमि में विरास्तन से हनुमान के नाम दर्ज की गई है जो गलत है।

सायलान के द्वारा प्रस्तुत खोलेनामा जो उपपंजीयक से पंजीबद्व के अनुसार हनुमान अपने ताउ गोरधन के खोले गया हुआ है अर्थात हनुमान का बचपन में खोले जाने का कथन पंजीबद्व खोलेनामा के आधार पर स्वीकार योग्य है। यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की जब हनुमान गोरधन के खोले चला गया था तो बालूराम की भूमि में किस प्रकार हक हिस्सा पाने का अधिकारी है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण खोलेनामा के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में गैरसायलान अर्थात हनुमान के वारिसान के नाम से दर्ज है गैरसायलान संख्या 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण अपने नाम से दर्ज भूमि का रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति हो सकती है और मुकदमेंबाजी भी बढेगी जब तक वाद भूमि के सम्बध में वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर हको का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति न्यायहित में बनाई रखी जानी उचित है गैरसायल द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त उक्त विवेचन पर चस्पा नही होते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सुविधा का सन्तुलन , प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 05.02.2019 को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कर्न्फम किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/7/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner